अपील सं. 2012/000390 (135/2012) 223 आर टी ए

1. रमजान खां
2. शान खां
3. रोशी
4. गोगा
5. अरशां
6. मीना
7. मुनीरा
8. झेबा

पिसरान बक्खासिंह पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

9. अल्लादिता पुत्र माहमअली प्रपोत्र नूरदीन जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया ---अपीलांट

बनाम

1. मोहम्मददीन पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

1/1 अब्दुलहक पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

1/1/1 मुस्तफा
1/1/2 उषा
1/1/3 जफर खां
1/1/4 मदन खां

पि0 अब्दुलहक पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान साकिन मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

1/1/5 भूंडी पत्नी अब्दुलहक जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया

1/2 मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसल सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

2. पीर मोहम्मद पुत्र ऐमना पुत्री पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ (फौत)

2/1 नाजम अली
2/2 नजमा बेगम
2/3 प्रवीन बेगम
2/4 भागां बेगम
2/5 मुराद अली
2/6 सायरा बानो

पि0 पीरमोहम्मद पुत्र ऐमना पुत्री नूरदीन जाति मुसलमान साकिन मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

3. फैज मोहम्मद पुत्र ऐमना पुत्री पुत्र नूर दीन जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
4. शरीफ मोहम्मद पत्र लक्खा जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
5. हनीफ मोहम्मद पुत्र लक्खा जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनमानगढ
6. नाजो पुत्री जुम्मा जाति मुसलमान सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ
7. नायबसिंह पुत्र मुखत्यारसिह जाति जटसिख सा0 मानकसर तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. शकूरा
10. मकसूदा
11. इलाही } पुत्रीयां माहमअली जाति मुसलमान साकिनि नानकसर तह0 संगरिया
12. अध्यक्ष नगरपालिका रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

—रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 09.08.1996 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्र0सं0 276/1996
अनवानी मोहम्मददीन बनाम माहमअली आदि

उपस्थित :—
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 7

दिनांक:—12.03.2019

निर्णय

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1/1 ता 1/2 के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 में प्रस्तुत किया किया। अर्जीदावा में चक 1 आरआरडब्ल्यू खाता नं. 24/22 की भूमि में खातेदार काशत करने व राजस्व रिकार्ड में नूरदीन का नाम कलमजन कर वादी का नाम दर्ज करने एवं खाता विभाजन करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट 1/1 व 1/2 के पिता ने विचारण न्यायालय मे अपीलाण्ट्स की भूमि हड़पने के लिए नूरदीन के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार नही बनाया। भूमि पारिवारिक समझौते में मिलना बताया है। दावे के समर्थन में एवं उसमें कथनों के समर्थन में कोई पुष्ट दस्तावेज पेश नहीं किये। अपीलाट सं. 1 से 8 मुस्लिम विधि के अनुसार बक्खा के वारिस हैं एवं अपीलाण्ट सं. 9 व रेस्पोडेण्ट संख्या 9 ता 11 माहम अली के वारिस होने के कारण प्रश्नगत प्रश्नगत भूमि में अपना हक हिस्सा रखते हैं। माहमअली को विधिक प्रावधानानुसार नोटिस जारी नही किया गया है। उसके नोटिस चस्पांदगी से तामील करवाये गये है। जबकि चस्पांदगी से तामील का कोई आदेश नहीं दिया गया था। माहमअली को कभी भी कोई नोटिस नही दिया गया है। ऐमना द्वारा भूमि को विक्रय किये जाने का कथन किया है जबकि विक्रय करने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। वादी को अपने हिस्सा से अधिक भूमि विक्रय करने का कोई अधिका नहीं था। ऐसा हस्तान्तरण प्रारम्भतः ही शून्य है। रेस्पोडेण्ट सं0 1/1 व 1/2 के पित वादी अपने जीवनकाल में एवं पुत्रान भी प्रश्नगत भमि में मुताबिकहक हिस् ... हिस्सा लेत रहे परन्त गत दिनां जब दिनांक 08.07.2012 को इन्हो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि में हिस्सा देना बंद कर दिया तो दिनांक 08.07.2012 को रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट्स का कोई भी हक हिस्सा होने से इंकार कर दिया। जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट्स का हंक हिस्सा है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलाटस के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार हैं। इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपने कथनों के समर्थन में 2010 (2) आरआरटी 1239, 2007 आरआरटी पेज 353, 2002 आरआरटी 1310, आरआरडी 2005 पेज 125, 2013 आरआरटी (2) पेज 985, 1999 आर बी जे पेज 562 आरबीजे 2004, पेज 38, 2011 आरआरडी पेज 405 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स के पिता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार बार सम्मन दिये गये थे। अपीलाण्ट् द्वारा सम्मन नही लेने के कारण इनकी तामील चस्पादगी के द्वारा करवाई गई थी। जो विधि सम्मत है। 1996 के आदेश की अपील 2012 में पेश की गई है जो मियाद बाहर है। देरी का कोई संतोषजनक कारण नही बताया है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त, हक अधिकार नहीं है। अपील के तथ्य मिथ्या कहे गये हैं। धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज करते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी खतोनी गांव 1 आरआरडब्ल्यू जो की इएक्स–1 है में प्रश्नगत भूमि नूरदीन के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट नूरदीन के वारिसान हैं। नूरदीन की भूमि को रेस्पोडेण्ट सं. 1/1 व 1/2 ने अपने पक्ष में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली है। नूरदीन के समस्त वारिसान को दावा में पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स एक प्रभावित पक्षकार है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में इनको सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलाण्ट्स का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम उसके साथ संलग्न शपथ–पत्र एवं उनमें अंकित तथ्यों व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 व 1/2

Web Copy - Not Official

है जो खातेदार काश्तकार था। उसके नाम की भूमि अपीलाण्ट ने अपने नाम द
करवा ली है। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी खतोनी गोव
आरआरडब्ल्यू जो की इएक्स–1 है में प्रश्नगत भूमि नूरदीन के नाम दर्ज है। नूरदी
के समस्त हितबद्ध वारिसान को वाद में पक्षकार नही बनाया है। वादी द्वारा उचि
सजरा खानदान पेश नहीं करने के कारण उनको सुनवाई का अवसर नहीं मिला है
अपीलाण्ट सं. 9 व रेस्पोडेण्ट संख्या 9 ता 11 माहम अली के वारिस होने के कारण
प्रश्नगत प्रश्नगत भूमि में अपना हक हिस्सा रखते हैं। माहमअली को विधिक
प्रावधानानुसार नोटिस जारी नही किया गया है। उसके नोटिस चस्पांदगी से तामील
करवाये गये है। जबकि चस्पांदगी से तामील का कोई आदेश नहीं दिया गया था
माहमअली के नोटिस पर जो गवाहों के अंगूठा निशानी करवाई गई है उनकी वल्दीयत
एवं पूर्ण पता अंकित नही है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2010
(2) पेज 1239 में भी तामील के गवाह की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण तामील को
उचित नही माना गया है। आरआरटी 2013 (2) पेज 985 में भी नोटिस की तामील
साक्षियों के नाम एवं पता की अनुपस्थिति तामील को उचित नही माना गया है। यह
न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा होता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी माहमअली की
चस्पांदगी द्वारा तामील गवाहों की शिनाख्त के बिना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त
अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो
कि पारिवारिक समझौता हो गया हो। जबकि वादी ने वाद में घरू विभाजन होने का
कथन किया है। घोषणा का दावा सिर्फ प्रतिवादी की एकतरफा कार्यवाही एवं किसी
प्रकार का कोई विरोध नहीं करने के कारण साबित माना है। दावा डिक्री का कोई भी
कानूनी एवं दस्तावेजी आधार नहीं माना है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अपील
अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित
किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.08.1996 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण उपखण्ड अधिकरी संगरिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.05.2019 को पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/3/19

(मूल चन्द)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी